न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 32 सन 2024
अनवान :–

1. गुडडी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल चक 20 जेएसएन तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. गोपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. हरिसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. बंशीलाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा थालड़का जरिये शाखा प्रबन्धक।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/07/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 105 की 60 बीघाा 14 बिस्वा भूमि थी वर्तमान में ख0न0 124/1 की 13.6620 हैक्ट में परिवर्तित तथा खाता स0 117/286 में परिवर्तित हो चुकी है। जिसका एक दावा तथ्यों को छुपाकर व वारिसान प्रार्थीया को छुपाकर न्यायालय हाजा में अनवानी इन्द्राज बनाम बनवारी दिनांक 15.07.2017 को पेश किया गया जिसे उसी दिन डिक्री किया गया।

प्रार्थीया उस निर्णय व डिक्री से प्रभावित होकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 266/2017 अनवानी गुडड बनाम बनवारी आदि पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 28.02.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर पुन सुनवाई की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

अनवानी पत्रावली इन्द्राज बनाम बनवार आदि रिमाण्ड होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पुनः निर्णय हेतु सूचना पत्र जारी किये गये तथा पत्रावली दिनांक 21.06.2024 तक विचाराधीन रही तथा दिनांक 21.06.2024 को वाद वादी अदम हाजरी में खारिज किया गया। लेकिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 के आधार पर नामान्तरण संख्या 1198 दिनांक 24.07.2017 को तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक पर्चा डिक्री दर्ज हो गया जबकि उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीया न्यायालय से दिनांक 15.07.2017 से पूर्व की स्थिति की घोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही ढण्ढेला के ख0न0 124/1 की खातेदारी भूमि की स्थिति दिनांक 15.07.2017 से पूर्व की स्थिति दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता स0 105 की 60 बीघाा 14 बिस्वा भूमि थी वर्तमान में ख0न0 124/1 की 13.6620 हैक्ट में परिवर्तित तथा खाता स0 117/286 में परिवर्तित हो चुकी है। जिसका एक दावा तथ्यों को छुपाकर व वारिसान प्रार्थीया को छुपाकर न्यायालय हाजा में अनवानी इन्द्राज बनाम बनवारी दिनांक

उपखण्डाधिकारी
नोहर

15.07.2017 को पेश किया गया जिसे उसी दिन डिक्री किया गया। प्रार्थीया उस निर्णय व डिक्री से प्रभावित होकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 266/2017 अनवानी गुडड बनाम बनवारी आदि पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 28.02.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर पुन सुनवाई की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया। अनवानी पत्रावली इन्द्राज बनाम बनवार आदि रिमाण्ड होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.07.2020 को पुनः निर्णय हेतु सूचना पत्र जारी किये गये तथा पत्रावली दिनांक 21.06.2024 तक विचाराधीन रही तथा दिनांक 21.06.2024 को वाद वादी अदम हाजरी में खारिज किया गया। लेकिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 के आधार पर नामान्तरण संख्या 1198 दिनांक 24.07.2017 को तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में मुताबिक पर्चा डिक्री दर्ज हो गया जबकि उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीया न्यायालय से दिनांक 15.07.2017 से पूर्व की स्थिति की घोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की" साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 286/277 के ख0न0 124/1 की 13.662 हैक्ट भूमि बनवारी पुत्र हीराम के नाम दर्ज थी। जिसके सम्बध में उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 15.07.2017 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 286/277 के ख0न0 124/1 की 13.662 हैक्ट भूमि में बनवारी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। ।

न्यायालय के आदेशाों की पालना में भूमिधारी तहसीलदार नोहर ने रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 286/277 के ख0न0 124/1 की 13.662 हैक्ट जो बनवारी के नाम से दर्ज थी को बनवारी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 15.07.2017 की अपील बनवारी के वारिसान के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने बाद सुनवाई दिनांक 28.02.2020 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.07.2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया।

राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 15.07.2017 की पालना में बनवारी व अप्रार्थी स0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई थी को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2020 के द्वारा खारिज कर दिया गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 15.07.2017 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को प्रार्थीया निरस्त करवाकर दिनांक 15.07.2017 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाना चाहती है जिसका प्रार्थीया अधिकारी भी है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 286/277 के ख0न0 124/1 की 13.662 हैक्ट भूमि जिसे उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना में बनवारी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिब दर्ज की गई थी की दिनांक 15.07.2017 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)